



MSP और उसकी वैधानिकता

प्रलिस के लयः

[आरथकऱ माडलुु की डुतुरडुडलीड डडतऱ \(CCEA\)](#), रबी डसलुु, कृषडुडलड आडुग (APC), राषुडुरीड खडुड सुरकषड, डररतीड खडुड नगऱड (FCI)

|

डेनुस के लयः

MSP के वैधडनीकरण कड डुदुड, कसऱनुु डर MSP के वैधडनीकरण कड डुरडडड ।

[सुरुतः ड हडुडु](#)

कुरकड डुु कडुु?

हडल ही डुु [आरथकऱ डडडलुु की डुतुरडुडलीड डडतऱ \(CCEA\)](#) ने अगले वडडुणन सीडुन (वरष 2025-26) के लयऱ कऱह रबी डसलुु (गेहुु, डुु, कनड, डसूर, रेडसुड, सरसुु और कुसुड) के लयऱ नडुनतड डडरथन डुलड डुु वृदुध की है ।

- **MSP डुु वृदुध से MSP कुु वैधडनकऱ डनडने की कसऱनुु की डडंग के सडथ कृषड डररसुथतऱकऱ तनुतुर डर डसके डुरडडड कुु लेकर वडडरश कुु डडुडडड डलऱ है ।**

//

Better support



The Cabinet increased the minimum support prices for rabi crops

Crop	MSP for rabi 2025-26*	MSP for rabi 2024-25*	Increase in MSP
Wheat	₹2,425	₹2,275	₹150
Barley	₹1,980	₹1,850	₹130
Gram	₹5,650	₹5,440	₹210
Lentil (masoor)	₹6,700	₹6,425	₹275
Rapeseed & mustard	₹5,950	₹5,650	₹300
Safflower	₹5,940	₹5,800	₹140

(*per quintal)

आर्थिक मामलों की मंत्रमंडलीय समिति (CCEA)

- इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है।
- यह एक एकीकृत आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करने के लिये आर्थिक रुझानों की निरंतर समीक्षा करती है तथा वदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में नीतियों एवं गतिविधियों (जसिके लिये उच्च स्तरीय निरणय लेने की आवश्यकता होती है) की देखरेख करती है

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

- परिचय:
 - MSP की शुरुआत वर्ष 1965 में **कृषि मूल्य आयोग (APC)**, जसिे बाद में CACP नाम दिया गया, की स्थापना के साथ की गई थी। यह **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा** को बढ़ाने और किसानों को बाज़ार मूल्यों में गिरावट से बचाने के लिये बाज़ार हस्तक्षेप का एक रूप था।
- MSP की गणना:
 - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (**Commission for Agricultural Costs & Prices- CACP**) प्रत्येक फसल के लिये राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत की गणना करता है।
 - A2:** इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मज़दूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, संचाई आदिपर नकद एवं वस्तु के रूप में सीधे तौर पर किये गए सभी भुगतान लागत शामिल हैं।
 - A2+FL:** इसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम (Family Labour) का अनुमानित मूल्य शामिल है।
 - C2:** यह एक व्यापक लागत है **जसिमें A2+FL लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमिका अनुमानित करिया मूल्य, स्थायी पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमिके लिये भुगतान किया गया करिया शामिल है**
 - सरकार का कहना है कि MSP को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत (CoP) के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया

है, लेकिन इसकी इस लागत की **A2+FL लागत** के 1.5 गुणा के रूप में गणना की जाती है।

₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

❖ सिफारिश:

❖ 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।

❖ 22 अधिदृष्ट फसलें :

(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)

- ❖ 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- ❖ 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- ❖ 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- ❖ कच्चा कपास
- ❖ कच्चा जूट
- ❖ नारियल/गरी (कोपरा)

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदृष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

❖ MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:

- ❖ फसल की खेती में आने वाली लागत
- ❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
- ❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
- ❖ अंतर-फसल मूल्य समता
- ❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
- ❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
- ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- ❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- ❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

भारत में MSP से संबंधित चर्चा क्या है?

- सीमिति कवरेज: शांता कुमार समिति की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 6% किसान ही MSP से लाभान्वित होते हैं। मुख्य रूप से ऐसे किसान जो बेहतर बुनियादी ढाँचे तक पहुँच वाले क्षेत्रों (जैसे पंजाब और हरियाणा) में रहते हैं, जबकि अन्य राज्यों के किसान बड़ी संख्या में इससे वंचित रह जाते हैं।
- फसलों पर असंतुलित ध्यान: MSP प्रणाली मुख्य रूप से कुछ फसलों (विशेष रूप से चावल और गेहूँ) पर केंद्रित है जिससे किसानों को अन्य फसलों को उगाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे फसल विविधीकरण परभावित होने के साथ इन फसलों के अतउत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।
- खरीद प्रणाली पर अत्यधिक भार: MSP के कारण प्रायः बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद (विशेष रूप से चावल और गेहूँ की) करनी होती है जिससे भंडारण संबंधी चुनौतियों के साथ अनाज की बर्बादी होती है तथा भारतीय खाद्य निगम (FCI) के संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: चावल (MSP द्वारा समर्थित) जैसी कुछ जल-गहन फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरणीय चर्चाएँ (जैसे भूजल का कम होना- विशेष रूप से पंजाब जैसे क्षेत्रों में) उत्पन्न होती हैं।
- बचौलियों पर निर्भरता: कुछ मामलों में जब MSP घोषित किया जाता है, तब भी किसानों को खरीद एजेंसियों तक सीधे पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी बचौलियों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे उनका शोषण होता है।

भारत में MSP को वैध बनाने की आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ क्या हैं?

■ आवश्यकताएँ:

- किसानों के लिये आय सुरक्षा: MSP को वैध बनाने से किसानों के लिये आय की गारंटी सुनिश्चित होगी तथा उन्हें बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी।
 - सुनिश्चित आय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई किसान मूल्यों में गिरावट के कारण संकट का सामना करते हैं, विशेष रूप से फसल की अधिक उपज के दौरान।
- कृषि निवेश को बढ़ावा: वधिक रूप से गारंटीकृत MSP किसानों को कृषि आगंतों, आधुनिक प्रौद्योगिकी और संधारणीय कृषि पद्धतियों में अधिक निवेश करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
 - सुनिश्चित रटिरन के साथ, किसानों द्वारा उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाने वाले उपायों को अपनाने की अधिक संभावना होती है।
- ग्रामीण निर्धनता में कमी: स्थिर मूल्य की पेशकश करके, कानूनी एमएसपी ग्रामीण निर्धनता को कम कर सकता है और लघु एवं सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है।
- कृषि बाजारों को स्थिर करना: MSP एक मूल्य स्थिरीकरण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो खुले बाजारों में फसल की कीमतों की अस्थिरता को रोकता है और उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के बोझ को कम करता है।
 - MSP को कानूनी समर्थन मिलने से आपूर्ति शृंखला सुचारू हो सकती है और फसल की निरंतर खरीद सुनिश्चित हो सकती है।
- संकटकालीन बिक्री में कमी: लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसान प्रायः संकटकालीन बिक्री का सहारा लेते हैं। MSP को कानूनी रूप से लागू करने से संकटकालीन बिक्री को रोका जा सकता है।

■ चुनौतियाँ:

- सरकार पर राजकोषीय बोझ: सभी फसलों पर MSP को वैध बनाने से सरकार को सुनिश्चित मूल्यों पर बड़ी मात्रा में खरीद करनी होगी, जिससे राजकोषीय बोझ काफी बढ़ जाएगा।
 - सरकार के अनुसार, सभी किसानों और फसलों को MSP प्रदान करने पर वार्षिक रूप से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा, जो सरकार के लिये वित्तीय रूप से अव्यवहारिक है।
- बाजार विकृति: कानूनी MSP नज़ि व्यापारियों और व्यवसायों को कृषि बाजार में भाग लेने से हतोत्साहित करके मुक्त बाजार तंत्र को विकृत कर सकता है।
 - MSP पर अत्यधिक निर्भरता घरेलू और नरियात बाजार में प्रतस्पर्द्धात्मकता को बाधित कर सकती है, इससे भारत के लिये विश्व व्यापार संगठन में वैधानिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- भंडारण और बुनियादी ढाँचा संबंधी बाधाएँ: MSP को वैध बनाने के लिये बड़े पैमाने पर खरीद की आवश्यकता होगी, जिसके लिये भंडारण और रसद बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता होगी।
 - सरकार को भंडारण संबंधी सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौजूदा बुनियादी ढाँचा सभी फसलों के लिये वसतिारित खरीद प्रणाली को संभालने के लिये अपर्याप्त है।
- कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: विविध कृषि पद्धतियों और जलवायु के कारण संपूर्ण भारत में समान रूप से MSP को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे सभी किसानों को लाभ पहुँचाने वाले MSP स्तर निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
 - राज्यों में उत्पादन लागत में अंतर के कारण एक समान MSP लागू करना और भी जटिल हो जाता है।
- अतउत्पादन और पर्यावरणीय प्रभाव: MSP को वैधानिक बनाने से गेहूँ और चावल जैसी कुछ फसलों के अतउत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिनमें पूर्व से ही MSP प्रणाली के तहत बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है।

